प्रेस नोट थाना खोराबार दिनांक 20.11.2020

दिनांक 18.11.2020 को वादी (पीड़िता का पिता) ने थाना खोराबार जनपद गोरखपुर मे अपनी नाबालिक लड़की के बहला फूसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में सूचना दिया। वादी के तहरीर के आधार पर तत्काल दिनांक 18.11.2020 को मु0अ0सं0- 791/2020 धारा 363,366, भादवि0 थाना खोराबार गोरखपुर पंजीकृत किया गया। पीडिता का 161 सीआरपीसी का बयान महिला आरक्षी द्वारा अंकित किया गया जिसने उसने बताया कि दिनांक 15.11.2020 रात्रि को सनी देवल मुझे बहला फुसलाकर ले गया और ले जाते समय रोड पर 03 लड़के अन्य खड़े थे। सनी देवल मुझे बगीचे में एक मकान में ले गया वहाॅ ये तीनों लड़के भी पहुॅचे थे। सनी देवल नाम के लड़के से मेरी लॉक डाउन से पूर्व से सम्बन्ध था। मेरा उससे लगातार मिलना जुलना व बातचीत होती रहती थी। सनी देवल ने बगीचे में मुझे 02 दिन तक रखा और उसी ने गलत कार्य किया।

पीडिता की बयान के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 376 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी मुख्य अभियुक्त सनी देवल को गिरफ्तार कर दिनांक 20.11.2020 को जेल भेजा गया है।

विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि पीड़िता एवं मुख्य अभियुक्त सनीदेवल की जान पहचान पहले से थी दोनो लोग आपस में बात चीत भी करते थे पीड़िता एवं मुख्य अभियुक्त सनी देवल का गत 06 माह का सीडीआर निकाला गया जिसमें दोनो के मध्य 296 बार बात होना पाया गया। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है मेडकिल उपरान्त 164 सीआरपीसी का बयान कराया जायेगा।

पीड़िता के 164 सीआरपीसी बयान के उपरान्त पीड़िता के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अन्य 03 लड़को की जो भूमिका सामने आयेगी उसके अनुसार उन 03 लड़कों पर सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

सनी देवल पुत्र गुरुदत्त उर्फ इंदल निवासी कुसम्ही कोठी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थानः-

दिनांक 20.11.2020 समय 11.30 बजे, देवरिया बाईपास के पास थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी/कर्म0 का नामः-

1. उ0नि0 श्री बदरुद्दीन खाँ, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. का0 उपेन्द्र यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. का0 सत्येन्द्र कुमार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर